

# FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

उनवान ..... राकेश किशोर ..... बनाम ..... वी.बलराम धों ..... 7

किस्म मुकदमा ..... डा. 0. प्रश. टी. 0. आई. 0. .... मुकदमा नं. FT-82/2018 सन् 20 18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
03/12/18	<p>वकील डा. राकेश किशोर शर्मा ने दायित्व अकलत होकर डा. प्रश. टी. आई. पेश किया। डा. राकेश किशोर मजिस्ट्रेट किया जावे। ल्याब पर बहस वकील डा. राकेश किशोर एक पक्षिय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का बखलोकन किया गया। बहस वकील डा. राकेश किशोर पर लगोट मन्न किया गया जिससे उमय पदकारण को अन्तर्पीम टी. आई. से पाबन्द किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उमय पदकारण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अस्वार्थ निवेद्याया पाबन्द किया जाता है कि आप वादग्रस्त आपसी ख. नं. 501/54 लका 0.6877 है. तन आम सन्तोषपुर प. ह. लांपुवा की राजस्व रिकॉर्ड की मन्वास्विति बनाने लें। उमय पदकारण को अन्त आदेश उल्लेखित कर उमयपीम की तलबी रजिस्टर्ड र. डी. मय लिफाफे पेश होने पर तलबी जरिये रजिस्टर्ड र. डी. की जाकर पत्रावली दिनांक 03/01/19 को पेश हो। डा. राकेश किशोर 0.39 R.03 CPC की पालना को।</p>	34-45 9-1-19
03/1/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उमय अन्वयिका / पीठासीन अधिकारी को अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली आदालतुसार आईन्दा दिनांक-15/02/19 को पेश हो।</p>	

26<sup>04</sup>/<sub>19</sub>

~~दिनांक 17/06/19 को पेश हो~~  
पत्रावली पेश हवे। ~~अधिकारी~~  
अनुपरिचय/ ~~अधिकारी~~  
दौरे पर/ अन्य का मे ~~व्यस्त।~~  
पत्रावली पूर्व आ ~~आईन्दा~~  
दिनांक-17/06/19 को पेश हो  
cm

14<sup>05</sup>/<sub>19</sub>

वकील जार्ज द्वारा जर्जना पत्र प्रिसल तब  
पेश कलें पर पत्रावली आज नियत तारीख  
पेशा से पूर्व आज तलब की गई। वकील  
जार्ज ने जर्जना पत्र पेश कर निवेदन किया  
कि प्रकरण में जार्ज द्वारा स्वगत आरोप लिया  
हुआ है। जार्ज का विवाहित बिन्दु का निस्तारण  
होने वाला है। इस हेतु स्वगत आरोप हटाया  
जाकर पत्रावली शेष कलें की आवश्यकता है।  
अतः पत्रावली के स्वगत आरोप हटाया जाकर  
पत्रावली drop की जावे।



वकील जार्ज का जर्जना पत्र स्वीकार  
किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में  
स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में आरोप  
कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। कार्यवाही  
प्रकरण इसी स्तर पर drop किया जाता  
है। पत्रावली फंसल शुभार होकर तब  
से काम हों तथा बाद तजमील दाखिल  
दफ्तर हो। विनय जूलें न्यायालय में सुनाया  
गया। 14/05/2019

(महीपाल सिंह) RAS  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला